# न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

**पीठासीन अधिकारी** : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
**राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या** : 23/2015
**GCMS No.** : 2015/00044

–:: प्रार्थी ::– बनाम –:: अप्रार्थीगण ::–

| प्रार्थी | अप्रार्थीगण |
|---|---|
| 1. माधाराम पुत्र बोदाराम जाति– जाट, निवासी– खराड़ी तहसील जैतारण। | 1. भरतभाई मेहता पुत्र अनन्तराय मेहता कारखाना प्रबन्धक सिद्धि विनायक सीमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड, निम्बोल, तहसील– जैतारण, जिला–पाली(राज0)<br>2. तहसीलदार जैतारण जिला– पाली। |

**राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं आदेश 39 नियम 01 व 02 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.**

**तारीख रजू: 25/02/2015**

उपस्थितः. 1. श्री राम स्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. श्री सुरेश चौधरी, सरकारी पैरोकार राज।

**–:: निर्णय ::–** **दिनॉकः 01/02/2021**

वकील मय प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा सिणला, पटवार हल्का डिगरना तहसील जैतारण में सायल की खरीदसुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर 867/1 रकबा 1–00 बीघा आई हुई है। उपरोक्त वर्णित आराजी सायल ने रामेश्वरलाल पुत्र सुन्दरलाल जी ब्राहाम्ण से जरिये रजिस्टर्ड बेचान के खरीद की है। नकल जमाबंदी व रजिस्टर्ड बेचान इस प्रार्थना पत्र साथ पेश है। जिसे प्रार्थना पत्र का एक आवश्यक भाग माना, जावें। उपरोक्त वर्णित आराजी सायल द्वारा खरीद करने से लेकर आज दिन तक सायल का निर्वाद रूप से मौके पर कब्जा व काश्त शांतिपूर्वक रूप से निरन्तर बिना किसी रोकटोक के सायल उक्त आराजी पर काबिज है नकल जमाबन्दी प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। जिसे प्रार्थना पत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें। उक्त आराजी को आगे प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा। उपरोक्त वर्णित विवादित आराजी जो कि सायल की खरीदसुदा आराजी है तथा खरीद करने से पूर्व उपरोक्त वर्णित आराजी रामेश्वरलाल पुत्र सुन्दरलाल जी को एलॉट हुई थी। एलॉट [illegible] खातेदार के रूप में राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया गया। रामेश्वरलाल [illegible]ट होने की तारीख से लेकर सायल को बेचान करने तक उसका [illegible] व काश्त था। मौके पर काबिज होने से दिनांक 1[illegible]2014 को तहसीलदार जैतारण ने रामेश्वरलाल द्वारा आवंटन शर्तो की पालना करने एवं आवंटन [illegible] 10 वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने पर रामेश्वरलाल को खातेदारी अधिकार दे दिये गये एवं दिनांक 30.07.2014 को सायल के पक्ष में नामान्तरणकरण संख्या 779 के जरिये खातेदार दर्ज किया। खातेदार दर्ज होने के बाद में सायल ने उक्त आराजी को जरिये रजिस्टर्ड बेचान

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.07.01 17:39:52 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

[illegible]ल के पक्ष में बेचान कर दिया। नकल साथ संलग्न है। उपरोक्त वर्णित विवादित आराजी जब रामेश्वरलाल के कब्जे में थी एवं जब रामेश्वरलाल को खातेदारी अधिकार दिये जाने की रिपोर्ट आर.आई. जैतारण द्वारा तैयार की गई थी तब तहसीलदार जैतारण के समक्ष गैरसायल संख्या एक के सिनियर लीगल अ०फिसर ने आपत्ति दर्ज करवाई की खसरा नम्बर 867/1 पर रामेश्वरलाल का कब्जा नही है एवं उसे किसी भी रूप में खातेदारी अधिकार नहीं दिये जावे। तब हल्का पटवारी एवं भू अभिलेख निरीक्षक ने इस बाबत जांच की तब उन्होने अपने आदेश में यह अंकित किया कि- मैसर्स सिद्धी विनायक सिमेंट प्राईवेट लिमिटेड के सिनियर लीगल ऑफिसर ने मनगढ्त एवं झूठा परिवाद दर्ज करवाया हैं, जिसकी वक्त जन सुनवाई केम्प में ही उक्त परिवाद को खारिज कर दिया। वास्तव में उक्त परिवाद पत्र काविल खारिज योग्य है एवं दूसरों की भूमि, हक व एवं स्वामित्व में किसी भी तरह की दखलदाजी कतई न्यायाचित नहीं है। इस आशय की जांच रिपोर्ट तहसीलदार जैतारण को पेश की। सारी जांच रिपोर्ट एवं मौके पर कब्जा व काश्त के आधार पर रामेश्वरलाल को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये। गैरसायल संख्या एक द्वारा आपत्ति दर्ज करवाये जाने के उपरान्त भी रामेश्वरलाल को खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने से व्यथित होकर गैरसायल संख्या एक ने जानबुझकर सायल की आराजी को हड़पने की नियत से सायल के कब्जा काश्त में दखलंदाजी शुरू कर दी एवं आये दिन मौके पर कभी सायल की खन्दक को बिखेर देना, सायल की आराजी में खड्डे कर देना एवं कमी कच्चा निमार्ण शुरू कर देना इस प्रकार से गैरसायल संख्या एक द्वारा बिना किसी हक व अधिकार के सायल को आये दिन तंग व परेशान की नियत से सायल के कब्जा काश्त की आराजी में दखलंदाजी शुरू कर दी। सायल द्वारा कई बार गैरसायल को समझाने पर भी गैरसायल द्वारा नहीं मानने पर यह प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध गैरसायल के पेश है। सायल का अपनी खरीदसुदा भूमि पर शांतिपूर्वक कब्जा है तथा गैरसायल संख्या एक बिना किसी हक व अधिकार के आये दिन सायल की कब्जा सुदा व खरीदसुदा आराजी में दखलदांजी व दस्तदाजी कर रहे है। गैरसायल की मंशा सायल की खरीदसुदा आराजी को हड़प करने की नियत है। इसलिए उपरोक्त वर्णित विवादित आराजी में बिना किसी हक व अधिकार के आये दखलंदाजी कर रहे है एवं सायल को मौके से बेदखल करने पर उतारू है। यदि गैरसायल अपने इन नापाक इरादो मे कामयाब हो जाते है तो सायल को असीम क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नही है तथा सायल अपने जायज व साम्पैतिक अधिकारो से हमेशा के लिये महरुम हो जायेगी। इसलिए सायल के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध गैरसायलान के पेश है। दिनांक [illegible] को गैरसायलान संख्या एक ने उक्त भूमि को लेकर सायल से लड़ाई झगड़ा किया [illegible] एवं [illegible] विवादित आराजी से सायल को बेदखल करने को आमादा है तथा सायल गैरसायलान के [illegible] अवैधानिक कृत्य का विरोध करेगा। जिससे मौके पर [illegible] विवाद बढ़ेगा, अनेको प्रकार की मुकदमेबाजी होगी। जिससे मल्टी प्लीसिटी अ०फ [illegible]सिडिंग्स् बढेगी। इन सब विवादो से बचने के लिये सायल के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध गैरसायलान के पेश है। समस्त तथ्यों परिस्थितियों एवं मौके पर कब्जा व काश्त एवं दस्तावेजात के आधार पर सायल का प्रथम दृष्टिया मामला बखूबी सायल के पक्ष में प्रमाणित है, यदि गैरसायलान जबरदस्ती

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.07.01 17:39:52 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

ल के हक हिस्से की भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर कब्जा करने का प्रयास करते ा कच्चा पक्का निर्माण कार्य करते तथा सायल को जबरदस्ती उसके हक हिस्से की भूमि से बेदखल कर देते है तो सायल को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नही होगी इसलिऐ सुविधा का संतुलन भी बखूबी सायल के पक्ष में प्रमाणित है तब यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र विरुद्ध गैरसायलान के पेश है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा का निर्णय बहक सायल विरुद्ध गैरसायलान के इस आशय की जारी की जावे कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या एक में वर्णित राजस्व मौजा सिणला पटवार हल्का डिगरना तहसील जैतारण में स्थित आराजी खसरा नम्बर 867/1 रकबा 1-00 बीघा में सायल माफिक अपने हक हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करे या करावे एवं काश्त मुतालिक कुल कार्य खड़ाई, बुवाई, निराई, सिंचाई कटाई करे या करावे तो गैरसायलान स्वयं उनके हाली, एजेन्ट, नौकर, चाकर, इत्यादि दखल व दस्तन्दाजी, हस्तक्षेप व बाधा पैदा नही करें, न ही इस भूमि को खुर्द बुर्द ही करे, ऐसा करने से जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के गैरसायलान को वादपत्र के अन्तिम निस्तारण तक रोका जावें। ऐसी अस्थाई निषेधाज्ञा बहक सायल विरुद्ध गैरसायलान के सादिर फरमावे।

इस पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किये गये। अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना-पत्र पेश किया जो सा0मि0 है। अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना-पत्र में जाहिर किया कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 में वर्णित अनुसार भूमि खसरा नम्बर 867/1 मौजा सिणला में स्थित होने के कथन कतई असत्य झूठे व बेबुनियाद है इस प्रकार की 01-00 बीघा भूमि मौके पर कहीं भी स्थित नहीं है। न ही सायल माधाराम का मौके पर कोई कब्जा व हक अधिकार ही है। बल्कि खसरा नम्बर 867 की भूमि राज्य सरकार द्वारा मैसर्स सिद्धी विनायक सिमेंट प्राईवेट लिमिटेड निम्बोल को 99 वर्षीय लीज पर दी हुई है तथा इस भूमि पर केवल मात्र कब्जा व हक अधिकार मैसर्स सिद्धी विनायक सिमेंट प्राईवेट लिमिटेड निम्बोल का ही है। जिसका वर्तमान नाम निरमा सिमेंट निम्बोल की ही उक्त भूमि है। उक्त तथ्यों के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 02 में वर्णित कथन असत्य होने से अस्वीकार है, न तो मौके पर सायल का कोई कब्जा रहा है न ही कोई हक व अधिकार ही रहा है। बल्कि खसरा नम्बर 867 की भूमि मैसर्स निरमा सिमेंट निम्बोल के कब्जे व नियंत्रण में है, सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 03 में वर्णित कथन असत्य होने से अस्वीकार है। पूर्व में उक्त भूमि किसके कब्जे व नियंत्रण में थी इस बाबत जबाब देहन्दा को कोई जानकारी नही है, परन्तु वर्तमान में खसरा नम्बर 867 की सम्पूर्ण भूमि मैसर्स निरमा सिमेंट निम्बोल के कब्जे व नियंत्रण में है। उक्त तथ्यों के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 04 में वर्णित कथन असत्य होने से अस्वीकार है। खसरा नम्बर 867 की भूमि पर सायल का पूर्व में भी कोई कब्जा व हक व अधिकार कभी नहीं रहा है न ही वर्तमान मे है। बल्कि उक्त भूमि मैसर्स निरमा सिमेंट निम्बोल के कब्जे व नियंत्रण में है। इस पद में जबाब देहन्दा पर झूठे आरोप लगाये गये है। सायल जबाब देहन्दा के विरुद्ध प्रस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। सायल का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के होने से खारिज फरमावे। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 05 में वर्णित

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.07.01 17:39:52 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी

कथन असत्य होने से अस्वीकार है। जब मौके पर सायल का कोई कब्जा व हक अधिकार ही नही है तो वह कब्जे के आधार पर स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है। सायल को किसी प्रकार की क्षति होने व वाद बाहूल्यता होने के कथन भी मिथ्या है। सायल का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के होने से खारिज फरमावें। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 06 मे वर्णित कथन असत्य होने से अस्वीकार हैं दिनांक 18.02.2015 को या अन्य किसी दिवस को सायल व गैरसायलान के बीच किसी भी प्रकार से कोई बोलचाल व विवाद नही हुआ है। न ही भविष्य में विवाद होने की कोई संभावना है। इसलिए वाद बाहूल्यता होने के कथन भी असत्य हैं इस आधार पर भी सायल का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के होने से खारिज फरमावे। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 07 का जबाब है कि समस्त तथ्यों व परिस्थितियों के आधार पर सायल का प्रथम दृष्टिया मामला नही होकर के गैरसायलान का बखूबी मामला प्रमाणित हैं एवं जब मौके पर सायल का किसी प्रकार से कोई कब्जा व हक अधिकार ही नही है तो उसको किसी प्रकार से असीम क्षति होने का प्रशन ही पैदा नही होता है एवं न ही सुविधा का संतुलन ही उसके पक्ष में है। इसलिए सायल गैरसायलान के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का कतई अधिकारी नहीं है। सायल का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के होने से सव्यय खारिज फरमावे। अतः जबाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र व दस्तावेजात के गैरसायलान संख्या 01 व 02 की और से पेश कर निवेदन है कि सायल का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के होने से खारिज फरमाने।

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजात, गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावाली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन व विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिंदूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार है:-

***(01) प्रथम दृष्ट्या मामला :-*** प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 867/1 रकबा 01-00 बीघा ग्राम सिणला तहसील जैतारण जिसका प्रार्थी अभिलिखित खातेदार है के सम्बन्ध में अप्रार्थी के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु न्यायालय हाजा में वाद प्रस्तुत किया जो जैरकार है। वादग्रस्त आराजी की जमाबन्दी सम्वत् 2071-2074 ग्राम सिणला के अनुसार प्रार्थी/वादी वादग्रस्त आराजी का अभिलिखित खातेदार है। प्रार्थी द्वारा उक्त आराजी खातेदार रामेश्वरलाल से जरिये पंजीकृत बैचाननामा क्रय की गई थी। रामेश्वरलाल उक्त आराजी का आरम्भ में गैर खातेदार था। नामान्तरण संख्या 779 दिनांक 30.07.2014 के अनुसार गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज की गई। कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जैतारण के पत्रांक 130 दिनांक 24.01.2014 तथा तहसीलदार जैतारण के पत्रांक 154 दिनांक 23.01.2014 एवं पत्रांक 1164 दिनांक 17.07.2014 भू अभिलेख निरीक्षक निम्बाले तथा पटवारी ... की जांच रिपोर्ट दिनांक 28.02.2014 के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम सिणला स्थित खसरा नम्बर 867/1 रकबा 01-00 बीघा भूमि प्रार्थी रामेश्वरलाल पुत्र सुन्दरलाल जाति ब्रहाम्ण निवासी ग्राम सिणला को दिनांक 24.04.1976 को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित की जाकर आवंटि के नाम गैर खातेदारी दर्ज कि गई। आवंटित भूमि पर आवंटि का कब्जा काश्त होनें तथा आवंटन की शर्तो की अनुपालना की जाना पाई जाने तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.07.01 17:39:52 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

टन दस वर्ष की अधिक अवधि व्यतित हो जाने, आवंटि गैर खातेदार के नाम गिरदावरी दर्ज होनें तथा मौके पर भौतिक रूप से कब्जा काश्त होनें के आधार पर आवंटि को वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये। अतः प्रार्थी वादग्रस्त आराजी का अभिलिखित खातेदार होना तथा वादग्रस्त आराजी प्रार्थी के कब्जे काश्त में होना दस्तावेज से साबित हैं।

अप्रार्थी का यह कथन है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 867/1 रकबा 01-00 बीघा ग्राम सिणला में स्थित होनें असत्य हैं तथा प्रार्थी का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त नहीं हैं आदि विश्वास योग्य नहीं हैं क्योंकि उक्त तथ्य पूर्व विवेचन के अनुसार अभिलेख एवं दस्तावेज से प्रार्थी के पक्ष में साबित होते हैं। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार अप्रार्थी को खसरा संख्या 867 की सिवाय चक भूमि पर दिनांक 08.01.2015 को 99 वर्षीय लीज स्वीकृत हुई हैं, लेकिन दस्तावेज से यह स्पष्ट है कि खसरा संख्या 867 की भूमि पर ही दिनांक 24.04.1976 को रामेश्वलाल पुत्र सुन्दरलाल को 01-00 बीघा भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित हो चुकी थी। अतः प्रथम तो यह कोई मायने नहीं रखता कि 867 पर अप्रार्थी के पक्ष में लीज स्वीकृत हो चुकी हैं जिससे प्रार्थी का कोई हक अधिकार शेष नहीं रहा क्योंकि प्रार्थी को आवंटित भूमि का अलग खसरा संख्या 867/1 दर्ज किया जाकर आंवटि के नाम आरम्भ में गैर खातेदारी तथा तत्पश्चात खातेदारी दर्ज कि गई जो वर्तमान में भी दर्ज है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में भली भांति साबित होता हैं।

2) **सुविधा का संतुलन** :- चुंकि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित हो चुका है तथा पूर्व विवेचित बिन्दू संख्या 01 के विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी में दर्ज है। अप्रार्थी यह साबित करनें में असफल रहे हैं कि प्रार्थी का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त नहीं है। अतः वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में सुविधा का वर्तमान सतुंलन प्रार्थी के पक्ष में भली भांति साबित होता है।

(3) **अपूरणीय क्षति** :- प्रार्थी वादग्रस्त आराजी का अभिलिखित खातेदार हैं तथा पूव विवेचित बिन्दू संख्या 01 व 02 प्रार्थी के पक्ष में साबित हो चुके हैं। यदि प्रार्थी के पक्ष में एवं अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती है तो अभिलिखित खातेदार होनें के कारण प्रार्थी को ही क्षति होनें की पूर्ण आंशका है क्योंकि अप्रार्थी का वादग्रस्त आराजी में कोई हक अधिकारी नहीं है। अतः यह बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में भली भांति साबित होता है।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवचेन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र बखूबी साबित होनें से स्वीकार किया जाना [illegible] एवं उचित होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.07.01 17:39:52 IST
Reason: SelfAttested

**-: *आदेश* :-**

अतः उपर्युक्त विवचेन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/वादी अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार करते हुये अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद पाबन्द किया जाता है कि ग्राम सिणला तहसील जैतारण जिला पाली राज0 में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 867/1 रकबा 01-00 बीघा में

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

खातेदार के कब्जे काश्त में कोई हस्तक्षेप नहीं करें, न ही खातेदार को अपने खातेदारी अधिकारों के उपयोग एवं उपभोग में कोई बाधा कारित करें एवं ऐसा ना स्वयं करें तथा न ही अपने अधिनस्थ कार्मिकों, नौकर, चाकर या अन्य प्रतिनिधियों से ऐसा करावें। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

निर्णय आज दिनॉक 01/02/2021 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.07.01 17:39:52 IST
Reason: SelfAttested